न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 255 सन 2019

अनवान :–

1. विनोदसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दरियासिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बिमला कंवर 3 राजकंवर 4 मंजु कवर पुत्रीयान प्रेमसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चैनपुरा खाता संख्या 81/78 के खसरा न0 184/3 की 0.1260हैक , खसरा न0 253/3 की 1.2850हैक खसरा न0 283/3 की 2.02020हैक खसरा न0. 377/1 की 1.1800हैक कुल 4.6110 हैक में से 3.431हैक भूमि वादी के पिता प्रेमसिह के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता प्रेमसिह पुत्र बन्नेसिह एवं वादी की माता पानकवंर पत्नि प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया गया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रेमसिह वल्द बन्नेसिह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता प्रेमसिह पुत्र बन्नेसिह के नाम से दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता प्रेमसिह पुत्र बन्नेसिह एवं उनकी माता पानादेवी पत्नि प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहन ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा खाता संख्या 81/78 के खसरा न0 184/3 की 0.1260हैक ,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

खसरा न0 253/3 की 1.2850हैक खसरा न0 283/3 की 2.02020हैक खसरा न0. 377/1 की 1.1800हैक कुल 4.6110 हैक में से 3.431हैक भूमि वादी के पिता प्रेमसिह के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता प्रेमसिह पुत्र बन्नेसिह एवं वादी की माता पानकवंर पत्नि प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया गया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा खाता संख्या 81/78 के खसरा न0 184/3 की 0.1260हैक , खसरा न0 253/3 की 1.2850हैक खसरा न0 283/3 की 2.02020हैक खसरा न0. 377/1 की 1.1800हैक कुल 4.6110 हैक में से 3.431हैक भूमि वादी के पिता प्रेमसिह के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2073–'76 के अनुसार वाद भूमि प्रेमसिह पुत्र बन्नेसिह के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता है प्रेमसिह पुत्र बन्नेसिह एवं उसकी पत्नि पानकवंर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा खाता संख्या 81/78 के खसरा न0 184/3 की 0.1260हैक , खसरा न0 253/3 की 1.2850हैक खसरा न0 283/3 की 2.02020हैक खसरा न0. 377/1 की 1.1800हैक कुल 4.6110 हैक में से 3.431हैक भूमि वादी के पिता प्रेमसिह के नाम सें दर्ज है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रेमसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विनोदसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 दरियासिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 बिमला कंवर 3 राजकंवर 4 मंजु कवर पुत्रीयान प्रेमसिह जाति राजपूत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 255 सन 2019 निर्णय दिनांक– 3|1|2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा खाता संख्या 81/78 के खसरा न0 184/3 की 0.1260हैक , खसरा न0 253/3 की 1.2850हैक खसरा न0 283/3 की 2.02020हैक खसरा न0 377/1 की 1.1800हैक कुल 4.6110 हैक में से 3.431हैक भूमि वादी के पिता प्रेमसिह के नाम सें दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रेमसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03|01|2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)